संख्याः नि0 1911/3–5 (भू–क्षरण की रोकथाम)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in /
फोन/फैक्सः–0135–2741607, 2742641
ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/उप निदेशक,
गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरौला।

देहरादूनः दिनांकः 15 जनवरी,2022

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान सं0–27 की राज्य सैक्टर योजना "4406–01–101–14–00–भू–क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–64/X–2–2021–12(39)2021 दिनांक 08 जनवरी,2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S22010270013 दिनांक 08.01.2022 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना 4406–01–101–14–00–भू–क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत मद–53 वृहद निर्माण में प्रथम किश्त के रूप में निम्न विवरणानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि ₹6,73,000/– (₹छः लाख तिहत्तर हजार मात्र) का विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाइन बजट का आवंटन निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती हैः–

(धनराशि ₹लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	आगणन की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत	शासन से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि
1	गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरौला के सुपिन रेंज नैटवाड़ के अन्तर्गत ग्राम कासला के कांडी तोक में भू–स्खलन रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु ।	23.88	23.81	3.46
2	गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरौला के सुपिन रेंज नैटवाड़ के अन्तर्गत ग्राम कासला के भानका तोक में भू–स्खलन रोकने हेतु सुरक्षात्मक निर्माण कार्य हेतु ।	21.80	21.80	3.27
योग		45.69	45.61	6.73

1– सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2–अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3–कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

4–अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल),उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5–कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

6–कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचालित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7–निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

8–विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

–2/–

9–स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

10–मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047//XIV-2019(2009) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

11–अवमुक्त धनराशि उपभाग दिनांक 31.03.2022 तक कर लिया जाए तथा उक्त तिथि को अवशेष धनराशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी जाय तथा व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति से अवगत कराया जायेगा।

12–अवमुक्त/संस्तुत धनराशि के सापेक्ष समस्त कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिये जायेगें, किसी भी दशा में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

13–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी स्थलीय निरीक्षण करते हुए अपने नियंत्रक प्राधिकारी को यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में इसी या किसी अन्य योजना से तो नही कराया गया है।

14–कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य से F.CAct1980/WildLife Protection Act 1972 का उल्लंघन तो नहीं होगा।

15–जिस स्थल पर निर्माण कार्य कराया जाना है, उस स्थल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व व पश्चात विडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जाय ताकि निर्माण की पुष्टि हो सके।

16–आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

17–आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

18–संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या–1 से 17 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन स्तर से भू–क्षरण की रोकथाम" योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्याः नि0 1911 (1)/3–5 (भू–क्षरण की रोकथाम) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पुरौला, उत्तराखण्ड एवं को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
7– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9–उप वन संरक्षक,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक